कार्यालय कलेक्टर (वित्त शाखा) जगदलपुर, जिला बस्तर

//ज्ञापन//

क्रमांक क/विलि–एक/ 93/2019 जगदलपुर, दिनांक 26/11/2019

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी,
एन0आई0सी0
जगदलपुर ।

विषयः– स्टेनो टायपिस्ट से हिन्दी शीघ्रलेखक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.11.2019 बस्तर साईड में अपलोड करने के बाबत् ।

000

विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 13.11.2019 को बैठक आहूत किया गया है । कार्यवाही विवरण की प्रति प्रेषित किया जा रहा है । कृपया बैठक की कार्यवाही विवरण कर्मचारियों के दावा आपत्ति हेतु जिले के साईड में अपलोड करने का कष्ट करें ।

संबंधित कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि दावा आपत्ति की पक्ष में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज के साथ दिनांक 30.11.2019 तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है ।

कलेक्टर,
जिला बस्तर

जिला कार्यालय (राजस्व स्थापना) के अन्तर्गत स्टेनोग्राफर के रिक्त पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 13.11.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरणः–

आज दिनांक 13.11.2019 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत किया गया । बैठक में जिला स्थापना के अन्तर्गत स्टेनोग्राफर के रिक्त 02 पदों पर स्टेनोटायपिस्ट के पदोन्नति पर समिति द्वारा विचार किया गया ।

2– जिला स्थापना के अन्तर्गत वर्तमान में स्टेनोटायपिस्ट के स्वीकृत 15 पद के विरूद्ध 16 कर्मचारी कार्यरत है ।

3– छ.ग.राजपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 में शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर भर्ती नियम जारी किया गया है जिसमें विभाग में स्टेनोग्राफर के स्वीकृत पद का 50 प्रतिशत पद स्टेनोटायपिस्ट के पद से पदोन्नति पर भरे जा का निर्देश है । जिला कार्यालय के लिए स्टेनोग्राफर के 04 पद स्वीकृत है जिसमें से दो पद भरे हुए है एवं स्टेनोग्राफर वर्ग–03 (वेतनमान् 5200–20200+2800) का वर्तमान में 02 पद रिक्त है, रिक्त पद पर नियतः स्टेनोटायपिस्ट से पदोन्नति पर भरे जाने पर विचार किया गया ।

4– कार्यालयीन पत्र कमांक क/विलि–एक/93/2019 दिनांक 26.10.2019 के द्वारा जिला स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत स्टेनोटायपिस्टों से छ.ग. शीघ्रलेखन /मुद्रलेखन परिषद रायपुर से स्टेनोग्राफर की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रमाण पत्र के साथ जानकारी देने लेख किया गया है ।

श्री पंकज मिश्रा, स्टेनोटायपिस्ट के द्वारा छ.ग. शीघ्रलेखन /मुद्रलेखन परिषद रायपुर से स्टेनोग्राफर की परीक्षा दिनांक 18 जनवरी, 2009 में उत्तीर्ण करने की प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है इसके अतिरिक्त अन्य स्टेनाटायपिस्ट के द्वारा छ.ग. शीघ्रलेखन /मुद्रलेखन परिषद रायपुर से स्टेनोग्राफर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है और न ही इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

5– छ.ग.शासन, सा.प्र.विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का पत्र कमांक एफ 4–1/2019 /1–3 दिनांक 17.9.2019 के द्वारा छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 7 (18) का जिक करते हुए पदोन्नति हेतु अपनाए गए मापदण्ड के अनुसार अनारक्षित/सामान्य प्रवर्ग के लोक सेवक यदि पदोन्नति के योग्य है और आरक्षित वर्ग के कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो अनारक्षित प्रवर्ग के कर्मचारी को पदोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

6— राजपत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 में प्रकाशित छ.ग.सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा पदोन्नति के लिए नवीन आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 13% अनुसूचित जनजाति के लिए 32% निर्धारित किया गया है । जिसके तहत रिक्त दो पद में से एक पद अनारक्षित वर्ग एवं दुसरा पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा ।

श्री पंकज मिश्रा स्टेनोटायपिस्ट स्टेनोटायपिस्ट की नियुक्ति 14.9.2010 से इस तरह उन्होंने 05 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर लिया है व स्टेनाग्राफर के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हता हिन्दी शीघ्रलेखन की परीक्षा छ.ग. शीघ्रलेखन/मुद्रलेख परिषद रायपुर से उत्तीर्ण कर लिया है । अतः अन्य किसी अनारक्षित/आरक्षित प्रवर्ग के किसी भी कर्मचारी के द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्याता हासिल नहीं किया है ।

समिति के द्वारा श्री पंकज मिश्रा, स्टेनोटायपिस्ट को स्टेनोग्राफर पद के लिए पदोन्नति योग्य पाया गया । अतः समिति श्री पंकज मिश्रा, स्टेनोटायपिस्ट को स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति की अनुसंशा की जारी है ।

अधीक्षक जगदलपुर	प्रभारी अधि0 (वित्त) जगदलपुर	प्रभारी अधि0(भू—अभि0) जगदलपुर	जिला कोषालय अधि0 जगदलपुर

//अनुमोदित//

कलेक्टर,
जिला बस्तर